



रीडर
श्री शिवशंकर शर्मा
पेशा की/कानून-जो-रिफरेंस
द्वारा पेशा है।
(भागवती जेठवानी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (संख्या) 20-11-76

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,
कोटा

संख्या /2016

श्रीसिंह आत्मज बापूलाल जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द तहसील पचपहाड
- अपीलान्त

बनाम

- ✓1- यशवन्तसिंह आत्मज सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द हाल रतलाम
- ✓2- श्रीमती स्नेहलता बेवा सज्जनसिंह गहलोत जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द हाल रतलाम
- ✓3- श्रीमती साधना पुत्री सज्जनसिंह पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रतलाम
- ✓4- जुझारसिंह आत्मज बापूसिंह जाति राजपूत निवासी नागदा
- ✓5- श्रीमती कृष्णाकंवर पत्नी जुझारसिंह जाति राजपूत निवासी नागदा
- ✓6- श्रीमती हंसरकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
- ✓7- श्रीमती एजनकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
- ✓8- श्रीमती नगनकवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द
- ✓9- श्रीमती कृष्णाकंवर पुत्री बापूसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द तहसील पचपहाड जिला झालावाड
- 10- सरकार जयें तहसीलदार तहसील पचपहाड

- रेस्पोंडेन्टस

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी महोदय,
भवानीमण्डी जो उन्होनें प्रकरण संख्या 95/2016 दिनांक 13.10.2016
को प्रदान किया।

मान्यवर,

अपील अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर उचित न्याय शुल्क पर
अन्दर अवधि श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में विधिवत प्रस्तुत है।

- 1- यहकि आलोच्य निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं पत्र संग्रह सार के आधार पर निरस्त होने योग्य हैं।
- 2- यहकि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त पूर्ण रूप से प्रमाणित होने के बाद भी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नही कर कानूनी भूल की हैं।
- 3- यहकि प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टस ने वादी अपीलान्त के कब्जे काश्त को चुनौती नही दी है तथा वादी अपीलान्त द्वारा शपथ पर दिये गये बयानों का भी खण्डन नही किया है। वादी अपीलान्त के गवाहान को नही मानने का भी कोई कारण नही है।
- 4- यहकि अन्य आक्षेप बवक्ता बहस निवेदन किये जावेगें।